न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 47 / 2024

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
1. विपूल अशोक कुमार पुत्र रूगजी जाति जैन निवासी नरसाणा, जालोर (मैसर्स विपूल अशोक कुमार किराणा स्टोर, सालरिया रोड़, सेड़वा का विक्रेता व मालिक)
2. मीना देवी (मैसर्स मदन ट्रेडिंग क. आई–31, कृषि उपज मण्डी, बाडमेर की फर्म प्रोप्राईटर)
3. जितेन्द्र सिंह (मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट, प्लोट नंबर ए–13, रोड नंबर 19, श्री कृष्णा विहार ए, पंचायति हेडक्वार्टर, अखेपुरा, जयपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा, अप्रार्थी की ओर से अनुस्थित।

आदेश

दिनांक : 11.02.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स विपूल अशोक कुमार किराणा स्टोर, सालरिया रोड़, सेड़वा** पर निरीक्षण दिनांक **20.12.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **रिफाईन पॉम आसॅयल ब्राण्ड महादेव** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **500–500 एमएल के चार पैकेट रिफाईन पॉम आसॅयल ब्राण्ड महादेव** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2482** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन पॉम आसॅयल ब्राण्ड महादेव** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन पॉम आसॅयल ब्राण्ड महादेव** का नमूना **अवमानक** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना–पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **10.06.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में यह पेश किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त विक्रेता फर्म पर जिस खाद्य पदार्थ का वास्ते जांच हेतु नमूना लिया जाना बताया गया है। उसका फार्म संख्या 5 ए का नोटिस मौके पर विक्रेता फर्म को नहीं दिया गया था तथा प्रिंटेड खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए तथा विक्रेता फर्म खाद्य पदार्थ "महादेव" ब्राण्ड घी का आजतक किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं किया गया है। जब विक्रेता फर्म खाद्य पदार्थ घी उक्त समय किसी भी ब्राण्ड का विक्रय नहीं किया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता फर्म को खाद्य विश्लेषक की घी की जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, जो मनगढत थी तथा तथ्यहीन होने के कारण संदेहास्पद है। जिस कारण प्रार्थीगण व निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अतः विप्रार्थीगण के विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **10.06.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार **B.R.R. at 40 degree C** का मानक स्तर 35.5-44.0 के मुकाबले **49.2** पाया गया है, **Iodine Value (Wij's method)** का मानक स्तर 45-56 के मुकाबले **58.72** पाया गया है, **Peroxide Value** का मानक स्तर Max 10 MegO/kg के मुकाबले **12.09** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में यह पेश किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

द्वारा उक्त विक्रेता फर्म पर जिस खाद्य पदार्थ का वास्ते जांच हेतु नमूना लिया जाना बताया गया है। उसका फार्म संख्या 5 ए का नोटिस मौके पर विक्रेता फर्म को नहीं दिया गया था तथा प्रिंटेड खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए तथा विक्रेता फर्म खाद्य पदार्थ "महादेव" ब्राण्ड घी का आजतक किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं किया गया है। जब विक्रेता फर्म खाद्य पदार्थ घी उक्त समय किसी भी ब्राण्ड का विक्रय नहीं किया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता फर्म को खाद्य विश्लेषक की घी की जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, जो मनगढत थी तथा तथ्यहीन होने के कारण संदेहास्पद है। जिस कारण प्रार्थीगण व निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर **रूपये 40,000/–**, अप्रार्थी संख्या 02 पर **रूपये 60,000/–** एवं अप्रार्थी संख्या 03 पर **रूपये 1,00,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह बांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर